13/08/2022

पत्रावली आज दिनांक 13/08/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार राज उपस्थित। स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया। बहस समाप्त की गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अध्ययन किया तहसीलदार (राजस्व) कोलायत ने पत्र क्रमांक -06 दिनांक 06-07-2022 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी के नाम तहसील कोलायत के ग्राम शरह नियानीमानी के खसरा नम्बर 80 रकबा 3.03 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में अमोलख सिंह पुत्र फूल सिंह दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अमर सिंह पुत्र फूस सिंह जाति राजपूत निवासी

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम कोटड़ा तहसील कोलायत जिला-बीकानेर है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। अत: तहसील कोलायत के ग्राम शरह नि-यानीमानी के राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 80 की 3.03 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम अमोलख सिंह के स्थान पर अमर सिंह पुत्र फूस सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ा तहसील कोलायत का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व कोलायत के नाम आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब-जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/08/2022 को मेरे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	

Scanned with OKEN Scanner